प्रेषक :
कपिल लखोटिया
चुनाव अधिकारी

फ्लैट नं. D-1/302 ,क्लियो काउंटी
प्लॉट नं. GH-05, सैक्टर–121
नोएडा–201301 (उत्तर प्रदेश)
मो. 9311410504
Email : lakhotia.kapil@gmail.com
दिनांक: 15 अक्टूबर, 2024

।। चुनाव अधिसूचना ।।

सेवा में,
समस्त शाखाध्यक्ष, शाखा मंत्री एवं राष्ट्रीय सभा सदस्य
अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच

विषय : गांधीधाम अधिवेशन में दिनांक 27 दिसम्बर, 2024 को होने जा रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष व क्षेत्रीय राष्ट्रीय उपाध्यक्षों के चुनाव।

प्रिय बन्धुवर,

जैसा कि आपको विदित ही है अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच की 44वीं राष्ट्रीय सभा 27 दिसम्बर तथा पंचदशम् राष्ट्रीय अधिवेशन 27, 28 एवं 29 दिसम्बर, 2024 को मारवाड़ी युवा मंच, गांधीधाम, गांधीधाम जागृति, गांधीधाम उदय शाखा के आतिथ्य में होने जा रहा है। मंच के संविधानानुसार अगले सत्र के 'राष्ट्रीय अध्यक्ष' एवं क्षेत्रीय 'राष्ट्रीय उपाध्यक्षों' (प्रत्येक क्षेत्र से एक) का चुनाव इस अधिवेशन में होना है। चुनाव नियमों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट–'क' में दी जा रही है, जिसके कुछ अंश संविधान में उद्धृत है। शाखाओं द्वारा भेजे जाने वाले राष्ट्रीय सभा सदस्यों की सूची के लिए परिशिष्ट–'ख' एवं नामांकन पत्र परिशिष्ट–'ग' व 'घ' के रूप में यहां संलग्न किये जा रहे है। चुनाव नियमों के अंतर्गत आवश्यक शर्तो की पूर्ति होने पर ही नामांकन पत्र वैध होगा। अतः नामांकन प्रस्ताव पारित करने के पूर्व यह अवश्य देखें कि प्रस्तावित उम्मीदवार व आपकी शाखा इन शर्तो की पूर्ति कर रही हो।

राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं क्षेत्रीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पदों के लिए नामांकन पत्र प्रस्तावित या अनुमोदन करने का अधिकार मंच की समस्त तथा/अथवा सम्बंधित शाखाओं को है। अतः इस कार्य हेतु शाखा की कार्यकारिणी समिति की सभा में प्रस्ताव पारित कर शाखाध्यक्ष के हस्ताक्षर एवं मुहर से युक्त नामांकन पत्र भिजवाना होगा।

दिनांक 27 नवम्बर, 2024 तक मेरे कार्यालय में प्राप्त नामांकन पत्र ही वैध समझे जायेंगे। नामांकन पत्रों को अपने शहर से कोरियर अथवा पंजीकृत डाक द्वारा चुनाव अधिकारी के नाम मेरे पते पर विशेष रूप से अंकित एवं मुहर बंद लिफाफे में भेजें। यह सुनिश्चित करें कि नामांकन पत्र 27 नवम्बर, 2024 तक मेरे कार्यालय में अवश्य प्राप्त हो जाए।

सधन्यवाद,

भवदीय,

कपिल लखोटिया
चुनाव अधिकारी

संलग्न : उपरोक्त वर्णित।

परिशिष्ट – क

01) धारा 2 (ऊ) क्षेत्र : क्षेत्र की दृष्टि से मंच को देशान्तर्गत 5 क्षेत्र I, II, III, IV, V में विभाजित किया गया है।

क्षेत्र I : असम, अरूणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल एवं अंडमान द्वीप समूह।

क्षेत्र II : बिहार एवं झारखण्ड।

क्षेत्र III : उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखण्ड, राजस्थान, पंजाब, जम्मू–कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, चण्डीगढ़ एवं हरियाणा।

क्षेत्र IV : ओडिशा, छत्तीसगढ़ एवं मध्यप्रदेश।

क्षेत्र V : गुजरात, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी, लक्षद्वीप समूह, गोवा एवं दमन दीव।

02) निर्वाचक मण्डल : (धारा–21)

(अ) राष्ट्रीय सभा की अधिवेशन से पूर्व होने वाली बैठक के ठीक 45 दिन पहले राष्ट्रीय सभा में सभी शाखा प्रतिनिधियों, राष्ट्रीय अध्यक्ष, सभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष (क्षेत्रीय), सभी प्रान्तीय अध्यक्ष एवं सभी भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षों को मिलाकर एक निर्वाचक मण्डल का स्वतः गठन होगा। यह मण्डल मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन करेगा। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष (क्षेत्रीय) के निर्वाचन में मतदान का अधिकार केवल सम्बंधित क्षेत्र के निर्वाचकगण को ही होगा। निर्वाचक मण्डल का गठन, चुनाव/राष्ट्रीय सभा बैठक से 45 दिनों पहले तैयार की गयी सूची के आधार पर होगा। शाखाओं को उक्त सूची में त्रुटि सुधार हेतु पर्याप्त समय दिया जायेगा एवं चुनाव के 30 दिन पूर्व अन्तिम सूची का प्रकाशन अनिवार्य होगा। यह सूची मंच की अधिकृत वेबसाइट/मंच संदेश/अन्य ऑनलाइन माध्यमों से प्रकाशित की जायेगी। चुनाव वर्ष के पूर्व के वित्तीय वर्ष के अंतिम दिवस के बाद गठित शाखाओं के प्रतिनिधियों के नाम निर्वाचक मण्डल' में शामिल नहीं होंगे।

(क) जिन शाखाओं द्वारा चुनाव के 45 दिन पहले तक अपने प्रतिनिधि को राष्ट्रीय सभा/निर्वाचक मण्डल में नही भेजा गया तो शाखा का प्रतिनिधि भेजने का अधिकार स्वतः समाप्त समझा जायेगा एवं यदि शाखाध्यक्ष या शाखा मंत्री में से भी एक को पदेन सदस्य बतौर यदि उक्त 45 दिन की समय सीमा के पूर्व मनोनीत नहीं किया तो राष्ट्रीय अध्यक्ष या उनकी सहमति से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष (राष्ट्रीय कार्यालय) को अधिकार होगा कि जिन शाखाओं के सम्बन्धित सत्र के चुनाव सम्पादित हो चुके तथा जिसकी सूचना राष्ट्रीय कार्यालय में प्राप्त है, उसके शाखा अध्यक्ष या शाखा मंत्री में से कोई एक का मनोनयन निर्वाचन मण्डल में कर सकेंगे। अन्य सदस्यों के नाम न प्राप्त होने पर पहले से प्राप्त सदस्य निर्वाचन मण्डल के सदस्य रहेंगे, बशर्ते वे निर्वाचन के समय मंच के सदस्य हों तथा जिस सत्र के लिए निर्वाचन हो रहा है, उस सत्र के प्रथम दिवस तक उसकी उम्र 45 वर्ष नही हुई हो (पदेन सदस्यों के अतिरिक्त)। शाखा के सदस्य संख्या में हुई कमी के चलते यदि मनोनीत हो सकने वाले सदस्यों की संख्या में कमी होती है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष या उनकी सहमति से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष (राष्ट्रीय कार्यालय) स्वविवेक से जरूरत अनुसार अतिरिक्त मनोनीत सदस्य को सूची से हटा देंगे।

(ख) जिस सत्र के लिए निर्वाचन हो रहा है, उस सत्र के प्रथम दिवस के पूर्व जिस निर्वाचक मण्डल के सदस्य की उम्र 45 वर्ष नहीं हो रही हो, वही निर्वाचक मण्डल का सदस्य रहेगा। वर्तमान, निवर्तमान व पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षों पर यह धारा लागू नहीं होगी तथा वे आजीवन निर्वाचन मण्डल के सदस्य बने रहेंगे।

(आ) चुनाव के 45 दिन पहले जो प्रतिनिधि शाखाओं द्वारा राष्ट्रीय सभा को भेजे गये है तथा अप्राप्त शाखाओं के प्रतिनिधित्व पर धारा 21(अ)(क) के अन्तर्गत राष्ट्रीय अध्यक्ष या उनकी सहमति से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष (राष्ट्रीय कार्यालय) के द्वारा मनोनीत किये गये प्रतिनिधि को निर्वाचन मण्डल का स्वतः गठन होगा। चुनाव के 45 दिन या कम समय रहने पर शाखा द्वारा निर्वाचन मण्डल में कोई परिवर्तन नही किया जा सकेगा। जिन शाखाओं का गठन जिस वर्ष चुनाव हो रहा है, उस वित्तीय वर्ष के पूर्व हो चुका है, उन शाखाओं के प्रतिनिधि ही निर्वाचक मण्डल के सदस्य होंगे।

(इ) निर्वाचक मण्डल के जो सदस्य चुनाव स्थल पर उपस्थित होंगे, वे ही मतदान में भाग ले सकते है।

(ई) राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में सम्पूर्ण निर्वाचक मण्डल सम्मिलित होगा।

(उ) धारा 19 (अ)(न) के अन्तर्गत राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से राष्ट्रीय शुल्क माफ प्राप्त शाखाओं के सदस्य शुल्क माफ दिवस से 365 दिन तक चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगे।

National Head Quarter:
3432/13, Hasan Building, 2nd Floor
Nicholson Road, Kashmere Gate
Delhi - 110006, India
011-45627626, 23931641 | +91 9211116264
contactus@aimym.org | mayumhq@gmail.com
aimymofficial | np_aimym@aimym.org
www.aimym.org

03) उम्मीदवारों की योग्यता (धारा–22)

(1) राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हेतु निम्न योग्यतायें जरूरी हैं :–

(क) : उम्मीदवार कम से कम 7 वर्षो से लगातार मंच का साधारण सदस्य रहा हो।

(ख) : जिस सत्र के लिए चुनाव हो रहा है, उस सत्र के प्रथम दिवस को उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 30 वर्ष या अधिकतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिये।

(ग) : उम्मीदवार कम से कम 12 महीने मंच का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री या प्रान्तीय अध्यक्ष रहा हो।

(घ) : उम्मीदवार के नाम पर मंच का किसी भी प्रकार (शाखा शुल्क सहित) का बकाया नहीं होना चाहिये।

(ड,) : उम्मीदवार की गृह शाखा पर प्रान्तीय अथवा राष्ट्रीय कार्यालय का किसी प्रकार का बकाया नहीं रहना चाहिये।

(च) : किन्हीं कारणवश अगर नामांकन पत्र दाखिल होने के अन्तिम समय तक कोई भी वैध नामांकन पत्र प्राप्त न हुआ हो तो, राष्ट्रीय सभा उपरोक्त वर्णित योग्यताओं में उस चुनाव हेतु अस्थायी परिवर्तन कर सकती है।

(2) राष्ट्रीय उपाध्यक्ष (क्षेत्रीय) पद के प्रत्याशी हेतु निम्न योग्यतायें जरूरी हैं :–

(क) : उम्मीदवार कम से कम 5 वर्षो से लगातार मंच का साधारण सदस्य रहा हो।

(ख) : जिस सत्र के लिए चुनाव हो रहा है, उस सत्र के प्रथम दिवस को उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 30 वर्ष या अधिकतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए।

(ग) : उम्मीदवार कम से कम 12 महीने के लिये राष्ट्रीय पदाधिकारी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य, प्रान्तीय उपाध्यक्ष या प्रान्तीय महामंत्री रहा हो।

(घ) : उम्मीदवार के नाम पर मंच का किसी भी प्रकार (शाखा शुल्क सहित) का बकाया नहीं रहना चाहिए।

(ड,) : उम्मीदवार की गृह शाखा पर प्रान्तीय अथवा राष्ट्रीय कार्यालय का किसी प्रकार का बकाया नहीं रहना चाहिए।

(च) : किन्ही कारणवश अगर नामांकन पत्र दाखिल होने के अन्तिम समय तक कोई भी वैध नामांकन पत्र प्राप्त न हुआ हो तो, राष्ट्रीय सभा उपरोक्त वर्णित योग्यताओं में उस चुनाव हेतु अस्थायी परिवर्तन कर सकती है।

04) चुनाव प्रणाली : (धारा–23) :

(अ) राष्ट्रीय अध्यक्ष पद हेतु उम्मीदवार के समर्थन में दों प्रान्तों से कम से कम दस शाखाओं एवं उसकी गृह शाखा द्वारा प्रेषित नामांकन पत्र (मूल प्रति) चुनाव अधिकारी को प्राप्त होने चाहिये तथा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद हेतु उम्मीदवार के समर्थन में संबंधित क्षेत्र की कम से कम पांच शाखाओं एवं उसकी गृह शाखा द्वारा प्रेषित नामांकन पत्र (मूल प्रति) चुनाव अधिकारी को प्राप्त होने चाहिये। इस अधिकार का प्रयोग शाखा विशेष की कार्यकारिणी समिति द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से ही हो सकेगा। ऐसे पारित प्रस्ताव को उस शाखा विशेष के अध्यक्ष द्वारा चुनाव अधिकारी को भेजा जायेगा, जो उसे चुनाव तिथि के कम से कम 30 दिन पूर्व मिलना चाहिये। नामांकन पत्र पर उम्मीदवार की सहमति में उसके हस्ताक्षर होना आवश्यक नहीं है, परन्तु मतदान की अवस्था में या निर्विरोध घोषित करने से पूर्व चुनाव अधिकारी को उम्मीदवार की लिखित सहमति लेना अनिवार्य होगा। उम्मीदवार या उम्मीदवारों द्वारा असहमति व्यक्त करने पर ऐसे नामांकन पत्र रदद समझे जायेंगे।

(आ) प्रस्तावित उम्मीदवार चुनाव अधिकारी द्वारा निर्धारित समय में अपना नामांकन पत्र वापस लेने में सक्षम होंगे।

(इ) किन्हीं कारणवश किसी पद के लिये निर्धारित अवधि में यदि एक भी वैध नामांकन पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो चुनाव स्थल पर ही राष्ट्रीय सभा के सदस्य उम्मीदवारों के नाम प्रस्तावित और समर्थन करने के अधिकारी होंगे। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद के लिये राष्ट्रीय सभा में संबंधित क्षेत्र के सदस्य इस हेतु समर्थन करने के अधिकारी होंगे।

(ई) संविधान में अवर्णित परिस्थितियों में चुनाव अधिकारी का निर्णय अन्तिम और मान्य होगा।

National Head Quarter:
3432/13, Hasan Building, 2nd Floor
Nicholson Road, Kashmere Gate
Delhi - 110006, India

011-45627626, 23931641 | +91 9211116264
contactus@aimym.org | mayumhq@gmail.com
aimymofficial | np_aimym@aimym.org
www.aimym.org

05) चुनाव सम्बंधी विशेष दिशा–निर्देश :

01. नामांकन पत्र संलग्न प्रारूप में होने आवश्यक है।

02. नामांकन पत्र के साथ उम्मीदवार का सहमति पत्र आवश्यक नहीं है। उम्मीदवार का सहमति पत्र दिनांक 05 दिसम्बर, 2024 तक चुनाव अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए। प्रस्तावित उम्मीदवार द्वारा सहमति पत्र के साथ अपनी आयु के संदर्भ में प्रमाण–पत्र देना आवश्यक होगा। उसके लिये जन्म प्रमाण–पत्र के रूप में निम्नलिखित में से दो साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे :–

क) जन्म प्रमाण–पत्र (ग्राम पंचायत / नगर निगम / सम्बंधित सरकारी कार्यालय) द्वारा प्रदत्त।

ख) माध्यमिक परीक्षा के अवसर पर बोर्ड द्वारा दिये गये प्रवेश पत्र (Admit Card) या बोर्ड द्वारा जारी उत्तीर्ण Certificate जिसमें जन्म तिथि अंकित हों।

ग) पास–पोर्ट / पेन कार्ड / आधार कार्ड

(ध्यानार्थ : धारा : 22 'अ' के अन्तर्गत जिस सत्र के लिए चुनाव हो रहा है, उस सत्र के प्रथम दिवस 01 अप्रैल, 2025 को उम्मीदवार की अधिकतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए।)

03. नामांकन पत्र पर शाखाध्यक्ष ही हस्ताक्षर करने को अधिकृत है, जो शाखा की कार्यकारिणी समिति द्वारा नामांकन प्रस्ताव पारित करने के प्रमाण का रूप है। यदि शाखा कार्यकारिणी समिति चाहे तो शाखाध्यक्ष की संभावित अनुपस्थिति में नामांकन पत्र हस्ताक्षर करने हेतु शाखा के किसी उपाध्यक्ष को भी अधिकृत कर सकती है।

04. दिनांक 27 नवम्बर, 2024 तक चुनाव अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त नामांकन पत्र ही वैध समझे जायेंगे।

05. राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए प्राप्त नामांकन पत्र तभी वैध माना जायेगा जबकि नामांकन पत्र (मूल प्रति) में प्रस्तावित उम्मीदवार के पक्ष में दो प्रान्तों से कम से कम 10 शाखाओं एवं उसकी गृह शाखा द्वारा प्रेषित नामांकन पत्र चुनाव अधिकारी को प्राप्त होते है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष (क्षेत्रीय) के चुनाव के लिये प्राप्त नामांकन पत्र तभी वैध माना जायेगा जबकि नामांकन पत्र (मूल प्रति) में प्रस्तावित उम्मीदवार के पक्ष में संबंधित क्षेत्र से कम से कम पॉंच शाखाओं एवं उसकी गृह शाखा द्वारा प्रेषित नामांकन पत्र चुनाव अधिकारी को प्राप्त होते है।

06. शाखा कार्यकारिणी में पारित एवं शाखाध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित व मुहर युक्त नामांकन पत्र, एक पद के लिए उस शाखा द्वारा एक से अधिक नामांकन पत्र प्राप्त होने की दशा में पूर्ण जांच के बाद निर्णय लिया जायेगा।

07. किसी भी शाखा को कार्यसमिति बैठक में पारित नामांकन पत्र चुनाव अधिकारी को प्रेषित करने के बाद उसी पद पर किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पुर्नविचार कर प्रेषित करने का अधिकार नहीं होगा।

08. राष्ट्र, प्रान्त एवं सम्बंधित गृह शाखा से उम्मीदवार का कोई भी बकाया नही रहना चाहिए। यदि कोई बकाया हो तो उसका भुगतान 30 नवम्बर, 2024 तक हो जाना चाहिए।

09. किसी भी उम्मीदवार की गृह / प्रस्तावक / समर्थक शाखा के नाम पर कोई बकाया नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय या प्रान्तीय कोषाध्यक्ष से किसी भी उम्मीदवार की गृह / प्रस्तावक / समर्थक शाखा की बकाया राशि की प्रमाणिक सूचना प्राप्त होने पर उस शाखा द्वारा भेजा गया नामांकन पत्र वैध नहीं माना जायेगा।

10. राष्ट्रीय या प्रान्तीय कोषाध्यक्ष को राष्ट्रीय शुल्क के अतिरिक्त जो बकाया राशि है, उसकी प्रारम्भिक सूची दिनांक 08 नवम्बर, 2024 तक तथा अन्तिम सूची दिनांक 15 नवम्बर, 2024 तक चुनाव अधिकारी को देनी आवश्यक होगी। उक्त पदाधिकारी द्वारा इन मदों में जिनका बकाया है, उन्हें दिनांक 10 नवम्बर, 2024 के पहले पत्र लिखकर भुगतान करने को कहना आवश्यक है।

11. उम्मीद्वार से निर्धारित समय पर सहमति पत्र (चुनाव अधिकारी कार्यालय में हस्ताक्षरित कापी) प्राप्त न होने पर नामांकन पत्र अवैध समझे जायेंगे।

12. नामांकन पत्र वापिस लेने का अधिकार प्रस्तावित उम्मीद्वार को होगा, ना कि प्रस्तावक / समर्थक शाखा को। प्रस्तावित उम्मीदवार का इस आशय का पत्र चुनाव अधिकारी के कार्यालय में 10 दिसम्बर, 2024 तक पहुँच जाना चाहिए।

13. दिनांक 12 नवम्बर, 2024 तक जो प्रतिनिधि शाखाओं के द्वारा राष्ट्रीय सभा में भेजे गये है, वे ही निर्वाचक मण्डल के सदस्य होंगे।

14. जिन शाखाओं का गठन दिनांक 31 मार्च, 2024 तक हो चुका है उनके प्रतिनिधि निर्वाचन मण्डल के सदस्य हो सकेंगे तथा वह शाखा व उसके प्रतिनिधि चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। यानि 1 अप्रैल, 2024 या उसके बाद गठित शाखाएँ इस बार हो रही चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगी।

15. चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने वाली शाखाओं को अपने संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान दिनांक 23 नवम्बर, 2024 तक राष्ट्रीय कार्यालय में करवाना आवश्यक होगा।

National Head Quarter:
3432/13, Hasan Building, 2nd Floor
Nicholson Road, Kashmere Gate
Delhi - 110006, India
011-45627626, 23931641 | +91 9211116264
contactus@aimym.org | mayumhq@gmail.com
aimymofficial | np_aimym@aimym.org
www.aimym.org

06) मतदान कार्यक्रम :

01.	शाखा द्वारा प्रतिनिधि भेजने या बदलने की अन्तिम तिथि (धारा 21 अ) के अनुसार (यदि शाखा ने इस तिथि तक अपना प्रतिनिधि नही भेजा तो धारा 21(अ)(क) के अन्तर्गत राष्ट्रीय अध्यक्ष/राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यालय द्वारा कार्यवाही होगी)।	: 12 नवम्बर, 2024
02.	प्राथमिक निर्वाचक मण्डल की सूची का प्रकाशन	: 16 नवम्बर, 2024
03.	आपत्ति संशोधन का आमंत्रण एवं दाखिलाकरण की अन्तिम तिथि	: 23 नवम्बर, 2024
04.	निर्वाचक मण्डल की अन्तिम सूची का प्रकाशन	: 27 नवम्बर, 2024
05.	नामांकन पत्र दाखिलाकरण की अन्तिम तिथि	: 27 नवम्बर, 2024
06.	प्राप्त नामांकन पत्र की प्रारम्भिक जॉच	: 29 नवम्बर, 2024
07.	उम्मीदवार का सहमति पत्र दाखिलाकरण की अन्तिम तिथि	: 05 दिसम्बर, 2024
08.	नामांकन पत्र की अन्तिम जॉच	: 08 दिसम्बर, 2024
09.	नामांकन पत्र की वापसी की अन्तिम तिथि	: 10 दिसम्बर, 2024
10.	उम्मीदवारों की अन्तिम सूची का प्रकाशन	: 12 दिसम्बर, 2024
11.	राष्ट्रीय सभा सदस्यों की संवैधानिक बैठक जरूरत होने पर धारा (23—इ) के तहत (राष्ट्रीय सभा की समाप्ति के तुरन्त पश्चात)	: 27 दिसम्बर, 2024
12	मतदान तिथि का निर्धारण (आवश्यकता होने पर)	: 27 दिसम्बर, 2024
13.	नतीजे की घोषणा	: 27 दिसम्बर, 2024

नोट : क्रमांक 2, 3 एवं 4 की समयावधि को चुनाव अधिकारी आवश्यकता पड़ने पर बढ़ा भी सकते है।

07) मतदान प्रणाली : मतदान की अवस्था में गुप्त मतदान प्रणाली लागू होगी।

08) मतदान पहचान : मतदान की स्थिति में मतदाताओं को पहचान के रूप में निम्न में से एक दस्तावेज की मूल प्रति (original copy) अपने साथ लाना अनिवार्य है :

(क) माध्यमिक परीक्षा के अवसर पर बोर्ड के द्वारा दिये गये प्रवेश पत्र (Admit Card) या बोर्ड द्वारा जारी उत्तीर्ण Certificate ।

(ख) पास—पोर्ट (ग) ड्राइविंग लाइसेंस (घ) मतदान पहचान पत्र (ड.) आधार कार्ड

(ध्यानार्थ : उपरोक्त सभी पहचान पत्र में फोटो संलग्न एवं जन्म तिथि अंकित होना आवश्यक है।)

09) चुनाव विवाद : चुनाव सम्बंधी किसी भी विवाद में चुनाव अधिकारी का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा।

10) चुनाव उपसमिति : चुनाव अधिकारी को सहयोग देने हेतु निम्न सदस्यों को चुनाव उप—समिति के रूप में मनोनीत किया गया है :—

1. श्री पवन कुमार गुप्ता, पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, फरीदाबाद।
2. श्री प्रशांत खंडेलिया, पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री, खगड़िया।
3. श्री सुरेश घेवरचन्द नाहटा, पूर्व शाखा अध्यक्ष, गांधीधाम।

चुनाव अधिकारी जरूरत के अनुसार अन्य किसी सदस्य को भी इस समिति में मनोनीत कर सकते है एवं चुनाव के सफल संचालन के लिए आवश्यकता पड़ने पर अन्य सदस्यों का सहयोग ले सकते हैं।

National Head Quarter:
3432/13, Hasan Building, 2nd Floor
Nicholson Road, Kashmere Gate
Delhi - 110006, India
011-45627626, 23931641 | +91 9211116264
contactus@aimym.org | mayumhq@gmail.com
aimymofficial | np_aimym@aimym.org
www.aimym.org

परिशिष्ट – ख,

शाखा का नाम ———————————————— जिला ——————————प्रान्त————————

(1) 2024–25 के शाखा चुनाव सम्पादन की तिथि ——————————————————————

(2) 2024–25 के शाखा पदाधिकारियों का पदभार ग्रहण करने की तिथि ——————————————
——————————————————————————————————————

नोट :– अगर पदाधिकारी पुनः मनोनीत हुए हो, तो उनकी जानकारी 2024–25 के पदाधिकारी के रूप में दें।

(3) (क) शाखा अध्यक्ष का नाम ————————————————— पता ——————————
——————————————————————————————————————

(ख) शाखा ———————————— सचिव का नाम ———————————————
पता ——————————————————————————————————————
——————————————————————————————————————

मोबाइल नं0 ——————————————— ई–मेल पता ——————————————————
——————————————————————————————————————

(4) 1) शाखा के साधारण सदस्यों की कुल संख्या ——————————————————————

2) राष्ट्रीय शुल्क का प्रेषण रूपये ——————————. दिनांक ——————————बैंक ——————————
——————————————————————————————————————

नोट :– राष्ट्रीय सभा के मनोनयन के लिए धारा 12 (इ) निम्नलिखित है –

धारा 12 (इ) : राष्ट्रीय सभा के लिए प्रत्येक शाखा निम्नानुसार सदस्य मनोनीत करेगी –

(क) 50 या उससे कम साधारण सदस्य होने पर : (एक प्रतिनिधि)

(ख) 51 से 100 तक साधारण सदस्य होने पर : (दो प्रतिनिधि)

(ग) 101 से 200 तक साधारण सदस्य होने पर : (तीन प्रतिनिधि)

(घ) 201 या उससे अधिक साधारण सदस्य होने पर : (चार प्रतिनिधि)

(ड.) शाखा अध्यक्ष और शाखा मंत्री में से कोई एक (पदेन)

नोट : सदस्य की गणना में केवल वैसे साधारण सदस्य जिनकी उम्र 45 वर्ष से कम है, की गणना होगी।
पोषक (वरिष्ठ सदस्य) गणना में शामिल नहीं होंगे।

National Head Quarter:
3432/13, Hasan Building, 2nd Floor
Nicholson Road, Kashmere Gate
Delhi - 110006, India

011-45627626, 23931641 | +91 9211116264
contactus@aimym.org | mayumhq@gmail.com
aimymofficial | np_aimym@aimym.org
www.aimym.org

(5) (क) पदेन सदस्य : शाखा अध्यक्ष/शाखा मंत्री

नाम ——————————— पता ———————————————————————

मोबाइल नं0 ————————————— ई–मेल पता ———————————————

(ख) राष्ट्रीय सभा सदस्य :

(1) नाम ——————————————————— पता —————————————
————————————————————————————————————
————————————————————————————————————

मोबाइल नं0 ————————————— ई–मेल पता ——————————————

(2) नाम ——————————————————— पता —————————————
————————————————————————————————————
————————————————————————————————————

मोबाइल नं0 ————————————— ई–मेल पता ——————————————

(3) नाम ——————————————————— पता —————————————
————————————————————————————————————
————————————————————————————————————

मोबाइल नं0 ————————————— ई–मेल पता ——————————————

(4) नाम ——————————————————— पता —————————————
____
____

मोबाइल नं0 ————————————— ई–मेल पता ——————————————

नोट :– ध्यान रखें पदेन सदस्यों के अतिरिक्त राष्ट्रीय सभा सदस्यों की आयु 01 अप्रैल, 2025 तक 45 वर्ष नहीं हो रही हो। पदेन सदस्यों हेतु इस वर्ष के निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होने के लिए 01 अप्रैल, 2024 तक अधिकतम आयु 45 वर्ष न हो, का प्रावधान है।

....

हस्ताक्षर हस्ताक्षर

शाखा अध्यक्ष शाखा मंत्री

National Head Quarter:
3432/13, Hasan Building, 2nd Floor
Nicholson Road, Kashmere Gate
Delhi - 110006, India

011-45627626, 23931641 | +91 9211116264
contactus@aimym.org | mayumhq@gmail.com
aimymofficial | np_aimym@aimym.org
www.aimym.org

परिशिष्ट – ग

पंचदशम् राष्ट्रीय अधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद हेतु होने जा रहे चुनाव हेतु नामांकन–पत्र

मारवाड़ी युवा मंच ———————————————————————— शाखा की कार्यकारिणी समिति की दिनांक ——————————————————— को हुई बैठक में पारित प्रस्ताव चुनाव अधिकारी के सूचनार्थ निम्नरूपेण प्रेषित किया जाता है :–

''अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद हेतु मारवाड़ी युवा मंच —————————— शाखा श्री/श्रीमती ————————————————————————————— (उम्मीदवार का नाम) जो कि ———————————————————— शाखा के सदस्य है, की उम्मीद्वारी प्रस्तावित करती है।''

'यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावक शाखा के नाम में मंच के राष्ट्रीय/प्रान्तीय कार्यालय की कोई भी राशि बकाया नहीं है।'

'यह घोषित किया जाता है कि प्रस्तावक शाखा की जानकारी के अनुसार, प्रस्तावित उम्मीदवार की उम्र कम से कम 30 वर्ष है तथा जिस सत्र के लिए चुनाव हो रहा है, उस सत्र के प्रथम दिवस को अधिकतम आयु 45 वर्ष से कम है यानि प्रस्तावित उम्मीदवार की जन्म तिथि 2 अप्रैल, 1980 या उसके बाद की है एवं पिछले 7 वर्षो से लगातार वे मंच के साधारण सदस्य है व कम से कम 12 महीने मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री या प्रान्तीय अध्यक्ष रह चुके हैं।'

——————————————

हस्ताक्षर

अध्यक्ष/कार्यवाहक अध्यक्ष

मारवाड़ी युवा मंच

—————————— शाखा

National Head Quarter:
3432/13, Hasan Building, 2nd Floor
Nicholson Road, Kashmere Gate
Delhi - 110006, India

011-45627626, 23931641 | +91 9211116264
contactus@aimym.org | mayumhq@gmail.com
aimymofficial | np_aimym@aimym.org
www.aimym.org

ALL INDIA MAWARI YUVA MANCH
अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच
सेवा व समाज विकास के लिए समर्पित युवाओं का अंतर्राष्ट्रीय संगठन
COME TOGETHER
—TO SERVE BETTER—

परिशिष्ट – घ

पंचदशम् राष्ट्रीय अधिवेशन में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद हेतु होने जा रहे चुनाव हेतु नामांकन–पत्र

मारवाड़ी युवा मंच –––––––––––––––––––––––––––––––––––– शाखा की कार्यकारिणी समिति की दिनांक –––––––––––––––––––– को हुई बैठक में पारित प्रस्ताव चुनाव अधिकारी की सूचनार्थ निम्नरूपेण प्रेषित किया जाता है :–

''अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, क्षेत्र ––––––––––– पद हेतु मारवाड़ी युवा मंच ––––––––––––––––– शाखा श्री/श्रीमती ––––––––––––––––––––––––––––––––– (उम्मीदवार का नाम) जो कि –––––––––––––––––––––––––––––– शाखा के सदस्य है, की उम्मीद्वारी प्रस्तावित करती है।''

''यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावक शाखा के नाम में मंच के राष्ट्रीय/प्रान्तीय कार्यालय की कोई भी राशि बकाया नहीं है।''

''यह घोषित किया जाता है कि प्रस्तावक शाखा की जानकारी के अनुसार, प्रस्तावित उम्मीदवार की उम्र कम से कम 30 वर्ष है तथा जिस सत्र के लिए चुनाव हो रहा है, उस सत्र के प्रथम दिवस को अधिकतम आयु 45 वर्ष से कम है यानि प्रस्तावित उम्मीदवार की जन्म तिथि 2 अप्रैल, 1980 या उसके बाद की है एवं पिछले 5 वर्षो से लगातार वे मंच के साधारण सदस्य रहे है व कम से कम 12 महीने के लिए राष्ट्रीय पदाधिकारी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, प्रान्तीय उपाध्यक्ष या प्रान्तीय महामंत्री रह चुके है।''

–––––––––––––––––––––––

हस्ताक्षर
अध्यक्ष/कार्यवाहक अध्यक्ष
मारवाड़ी युवा मंच
–––––––––––––––––– शाखा

National Head Quarter:
3432/13, Hasan Building, 2nd Floor
Nicholson Road, Kashmere Gate
Delhi - 110006, India
011-45627626, 23931641 | +91 9211116264
contactus@aimym.org | mayumhq@gmail.com
aimymofficial | np_aimym@aimym.org
www.aimym.org